

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
अधिसूचना सं. 51 / 2024-25
नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2025

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के तहत, तूर/पिजन पीज़ (केजनस काजन)
[आईटीसी (एचएस) 07136000] की "मुक्त" आयात नीति को 31.03.2026 तक बढ़ाना।

सा. आ. (अ): समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आयात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07136000	तूर/पिजन पीज़ (केजनस काजन)	मुक्त	31.03.2025 तक आयात 'मुक्त' है।	31.03.2026 तक आयात 'मुक्त' है।

अधिसूचना का प्रभाव: तूर की "मुक्त" आयात नीति दिनांक 31.03.2026 तक आगे बढ़ाई गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सांरंगी
(संतोष कुमार सांरंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेल: dgft@nic.in

[फा. सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2(ए)/ई-1657 से जारी]